न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पीपलू जिला टोंक (राज.)

पीठासीन अधिकारी वर्षा शर्मा (आर.ए.एस.) द्वारा [illegible]

वाद संख्या–01/2023 (123/2019)
दर्ज दिनांक–10.07.2023 (28.11.2019)
निर्णय दिनांक–03.08.2023

सजना उर्फ सर्जन पत्नि स्व0 भैरू जाति माली निवासी ग्राम इस्लामपुरा (नयागांव) पोस्ट गहलोद तहसील पीपलू जिला टोंक (राज0)

वादीया

बनाम

1. कजोड़ पुत्र घासी जाति माली निवासी ग्राम इस्लामपुरा (नयागांव) पोस्ट गहलोद तहसील पीपलू जिला टोंक (राज0)
2. प्रेम पुत्र सुखदेवा जाति माली निवासी ग्राम इस्लामपुरा (नयागांव) पोस्ट गहलोद तहसील पीपलू जिला टोंक (राज0)
3. पोखर पुत्र सुखदेवा जाति माली निवासी ग्राम इस्लामपुरा (नयागांव) पोस्ट गहलोद तहसील पीपलू जिला टोंक (राज0)
4. देवकरण पुत्र सुखदेवा जाति माली निवासी ग्राम इस्लामपुरा (नयागांव) पोस्ट गहलोद तहसील पीपलू जिला टोंक (राज0)
5. पाना पुत्री सुखदेवा जाति माली निवासी ग्राम इस्लामपुरा (नयागांव) पोस्ट गहलोद तहसील पीपलू जिला टोंक (राज0)
6. हरनाथ पुत्र बालू जाति माली निवासी ग्राम इस्लामपुरा (नयागांव) पोस्ट गहलोद तहसील पीपलू जिला टोंक (राज0)
7. भारतीय स्टेट बैंक शाखा टोंक जरिये प्रबन्धक
8. तहसीलदार पीपलू तहसील पीपलू जिला टोंक (राज0)

प्रतिवादीगण

अधिवक्ता वादीगण–श्री हंसराज मेहरा, श्री ओमप्रकाश यादव एड0

अधिवक्ता प्रतिवादीगण–श्री कमलेश कुमार गुर्जर

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

Scanned with CamScanner

दावा बाबत् तकासमा आराजीयात
अन्तर्गत धारा 53 राज०टि०एक्ट

निर्णय

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि भूमि आराजी खसरा नम्बर 29 रकबा 05-03 बीघा वाके ग्राम मारखेडा पटवार हल्का गहलोद तह० पीपलू जिला टोंक में स्थित है। जिसका अंकन जमाबंदी खाता संख्या 13, पुराना 10 जमाबंदी संवत् 2073-76 में हो रखा है। उक्त वर्णित आराजीयात में वादिया मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड 1/2 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 01 का 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 02 ता 05 का 1/12 हिस्सा, प्रतिवादी सख्या 06 का 1/12 हिस्सा दर्ज है। जिसकी वादिया एवं प्रतिवादी संख्या 01 ता 06 खातेदार, काबिज काश्तकार चले आ रहे है। वादिया व प्रतिवादी संख्या 01 ता 06 के मध्य उक्त वर्णित आराजीयात का विधिवत् रूप से तकास्मा नहीं हो रखा है, जिसके कारण आये दिन मौके पर विवाद की स्थिती बनी रहती है, इस कारण न्यायहित में वादिया व प्रतिवादी संख्या 01 ता 06 के मध्य बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर विधिवत् रूप से तकास्मा किया जाकर वादिया के नाम पृथक से नया खाता कायम कर उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जाना उचित एवं न्याय संगत होने के कारण तकास्मा करवाने हेतु वाद प्रस्तुत किया है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर की जाकर तलबी प्रतिवादीगण की गई। प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 05 की ओर से अधिवक्ता श्री कमलेश कुमार गुर्जर ने वकालतनामा मय जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया की वादिया व प्रतिवादी संख्या 01 ता 06 के मध्य उपरोक्त वर्णित आराजीयात का मौके पर कब्जे, काश्त के अनुसार तकास्मा किये जाने में प्रतिवादी संख्या 01 ता 06 को कोई उज्र आपत्ति नहीं हैं व राजीनामा प्रस्तुत कर कथन किया की उक्त प्रकरण में पक्षकारान् के मध्य लोक अदालत की भावना से राजीनामा हो गया हैं। उक्त वर्णित आराजीयात में वादिया का 1/2 हिस्सा है, शेष हिस्सा प्रतिवादी संख्या 01 ता 06 का हैं। इस कारण वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 01 ता 06 के मध्य मौके पर कब्जे काश्त एवं राजस्व रिकॉर्ड अनुसार तकास्मा किया जाकर प्राथमिक डिक्री बनाये जाने का आदेश प्रदान किया जावे। उभयपक्ष की सहमति के आधार पर वाद वादी प्राथमिक डिक्री किया जाकर न्यायालय हाजा के पत्रांक 1276 दिनांक 30.06.2021 से तहसीलदार पीपलू से तकास्मा रिपोर्ट चाही गई। जो तहसीलदार पीपलू के पत्रांक 4855 दिनांक 31.12.2021 से न्यायालय हाजा को प्राप्त हो चुकी थी। लेकिन दिनांक 10.03.2022 को उभयपक्ष व अधिवक्ता वादीगण/प्रतिवादीगण अनुपस्थित रहने के कारण वाद वादी अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया जा चुका था। तत्पश्चात एक बाजदायरी प्रार्थना पत्र पुनः नम्बर पर लिये जाने वाद प्रस्तुत होने पर उभयपक्ष की सहमति के आधार 500 रूपये की कोस्ट राशि पर दिनांक 14.09.2022 को स्वीकार किया गया। अतः उक्त आदेश की पालना में प्रकरण पुनः दिनांक 10.07.2023 को दर्ज रजिस्टर किया गया।

उभयपक्ष अधिवक्ता ने बहस का निवेदन किया। अधिवक्ता वादी ने प्रस्तुत राजीनामे के आधार पर तकास्मा रिपोर्ट पर सहमति जाहिर कर वाद वादी डिक्री किये जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता प्रतिवादीगण ने

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

Scanned with CamScanner

श्री राजीनामे अनुसार तकास्मा रिपोर्ट से सहमत होते वादी का वाद डिक्री किये जाने में अपनी सहमति जाहिर की। विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष सुनी तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात् का अवलोकन किया। प्रस्तुत तकास्मा रिपोर्ट का अवलोकन किया जाकर वाद बाबत् तकास्मा आराजीयात स्वीकार किया जाकर वाद वादी इस प्रकार डिक्री किया जाता है कि मुताबिक तकास्मा रिपोर्ट अनुसार वाके ग्राम मारखेडा पटवार हल्का गहलोद में स्थित भूमि आराजी ख0न0 29/1 रकबा 0.6512 हैक्ट. वादीया सजना उर्फ सरजन पत्नि भैरू जाति माली सा0 इस्लामपुरा खातेदार के नाम दर्ज रिकॉर्ड रहेगा व ख0न0 29/2 रकबा 0.6512 हैक्ट. प्रतिवादी संख्या 01 कजोड़ पुत्र घासी जाति माली सा0 इस्लामपुरा खातेदार के नाम दर्ज रिकॉर्ड रहेगा। तहसीलदार पीपलू तकास्मा रिपोर्ट अनुसार वादीया व प्रतिवादी संख्या 01 के नाम राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करे एवं नक्शा शीट तकास्मा रिपोर्ट अनुसार तरमीम करे। तहसीलदार पीपलू से प्राप्त तकास्मा रिपोर्ट निर्णय का अभिन्न हिस्सा रहेगी। बैंक प्रभार यथावत रहेगा। नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेश होने पर डिक्री जारी हो। निर्णय आज दिनांक 03.08.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
पीपलू जिला टोंक

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू टोंक

(वर्षा शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी पीपलू
जिला–टोंक (राज0)